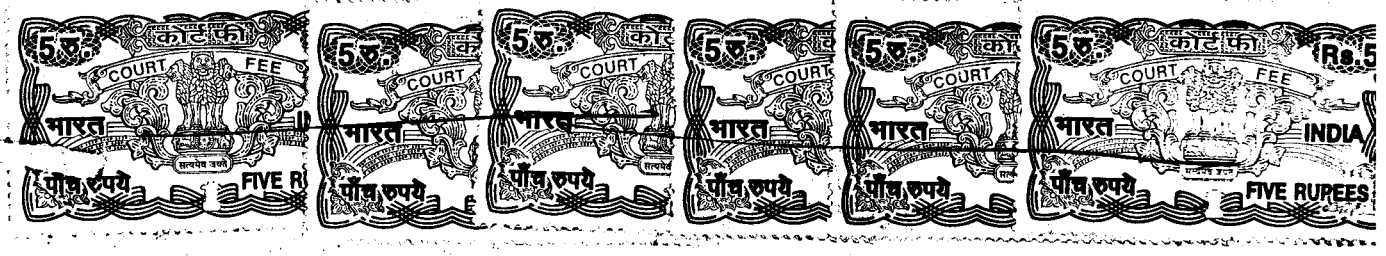

निगरानी — 2577-PBR/2015

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 निगरानी

दिनांक 11-8-15 को श्री एस.एन. शर्मा, अभि० द्वारा प्रस्तुत/
11-8-15

एस.एन. शर्मा एडवोकेट
11/8/15

छविराम पुत्र कल्याण सिंह निवासी धुसगवां, तहसील व जिला ग्वालियर ——————प्रार्थी

बनाम

1— भग्गोबाई पत्नी चकपान निवासी धसगुंवा, तहसील व जिला ग्वालियर हाल निवासी अधियारी तहसील मौ जिला भिण्ड

2— वैजन्ती बाई पत्नी भरेसिंह निवासी मिलकपटटी वार्ड क.11 मौ जिला भिण्ड

3— श्रीराम पुत्र करन सिंह बडी माता के पास मौ जिला भिण्ड म.प्र. ——————प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा— 50 (1) म.प्र.भू राजस्व संहिता—1959 विरूद्ध पारित आदेश द्धारा श्री ए.के.श्रीवास्तव अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्र0क0 721/12—13/अपील आदेश दिनांक 28.7.2015

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2577—PBR / 2015 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2—9—2015	आवेदक की ओर से श्री एस.एन. शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 28—7—2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत नामांतरण नियमों का पालन किये बिना और प्रकिया अपनाये बिना जल्दबाजी में आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं है । तहसील न्यायालय द्वारा न तो विधिवत इस्तहार का प्रकाशन किया गया है, और न ही अनावेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया गया है तथा बिना अपंजीकृत वसीयत की जांच किये वसीयत के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया है, इस कारण तहसील न्यायालय की कार्यवाही संदिग्ध परिस्थितियां उत्पन्न करती है । भूमिस्वामी भंवर सिंह की मृत्यु दिनांक 11—7—2012 को हुई है और दूसरे ही दिन आवेदक द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर दिनांक 12—7—2012 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और तहसील न्यायालय द्वारा भी जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए मृतक भूमिस्वामी के प्रथम श्रेणी के वारिस न होने की दशा में द्वितीय श्रेणी के वारिसों के हक में समान भाग पर नामांतरण आदेश देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः	

उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष